न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 111/2020 वाद

GCMS NO.- 2020/00269

कैलाशचन्द्र पिता रतनलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. बंशीलाल पिता रतनलाल जाति जटिया आयु वयस्क, निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. रतनलाल पिता दल्लाजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री नाहरसिंह छाजेड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक **14.10.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आाराजियात वाके मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0.2900 हैटेयर, तथा खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जो वादी के दादा दल्ला के जमाने से चली आ रही है। दल्लाजी का देहान्त आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया है। दल्लाजी के वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल व उसका भाई मांगीलाल हुवे, प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी नं. 1 है। वादग्रस्त आराजियात में वादी का जन्म से अधिकार निहित होकर वादी [illegible] आराजियात में बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है। खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0.2900 हैटेयर, भूमि में प्रतिवादी नं0 2 रतनलाल के दर्ज 3/4 हक हिस्से में से वादी का 1/3 यानि वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिका[illegible]
[illegible]हेड़ा (राज[illegible]

Scanned with CamScanner

नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दर्ज 1/2 हक हिस्से में से वादी का 1/3 हक हिस्सा यानि वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 का हक हिस्सा निहित है तथा उक्त हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात में उपरोक्त वर्णित अुसार वादी का हक हिस्सा घौषित करा कर खातेदारी में दजे कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार को गय है। इसलिए मजबूरन वादी का यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0.2900 हैटेयर, भूमि में प्रतिवादी नं0 2 रतनलाल के दर्ज 3/4 हक हिस्से में से वादी का 1/3 यानि वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दर्ज 1/2 हक हिस्से में से वादी का 1/3 हक हिस्सा यानि वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 का हक हिस्सा घोषित करते हुए वादी का दावा डिक्री किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनाम तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम रावलिया प0ह0 भावलिया की खाता संख्या 170, 180, 110 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल जटिया के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजीनामे के साथ नकल जामाबन्दी संवत् 2077-2080 की खाता संख्या 124 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं तथा नकल जमाबन्दी संवत 2031-2034 ग्राम रावलिया प0ह0 भावलिया की खाता संख्या 43 की प्रमाणित प्रति एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि पूर्व में दल्ला चमार के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

भूमि रतनलाल को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई होना साबित होता है। राजीनामें अनुसार वाके मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्सा 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0.2900 हैटेयर, भूमि में प्रतिवादी नं0 2 रतनलाल के दर्ज 3/4 हक हिस्से में से वादी का 1/3 यानि वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दर्ज 1/2 हक हक हिस्से में से वादी का 1/3 हक हिस्सा यानि वादी का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 का हक हिस्सा घोषित कराना चाहते हे। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार हक हिस्सा दिये जाने हेतु सहमत है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की वादग्रस्त खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0.2900 हैटेयर, भूमि में प्रतिवादी नं0 2 रतनलाल के दर्ज 3/4 हक हिस्से में से वादी का 1/3 यानि वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दर्ज 1/2 हक हिस्से में से वादी का 1/3 हक हिस्सा यानि वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 का हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्ता[illegible]जस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथाव[illegible] जावे। [illegible] फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार हो[illegible] हो।

आज दिनांक 14.10.2020 को [illegible]य सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

गूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. - 111/2020 वाद

GCMS NO. - 2020/00269

कैलाशचन्द्र पिता रतनलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. बंशीलाल पिता रतनलाल जाति जटिया आयु वयस्क, निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. रतनलाल पिता दल्लाजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नाहरसिंह छाजेड की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 170 की आराजी नं. 411, 412, 426, 427, 430, कुल कीता 5 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 180 की आराजी नं. 417 रकबा 0. 2900 हैटेयर, भूमि में प्रतिवादी नं0 2 रतनलाल के दर्ज 3/4 हक हिस्से में से वादी का 1/3 यानि वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हक हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 110 की आराजी नं. 398 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, भूमि में प्रतिवादी नं. 2 रतनलाल के दर्ज 1/2 हक हिस्से में से वादी का 1/3 हक हिस्सा यानि वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 का हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:40 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner